2981/0.1260

न्यायालय : - तहसीलदार,(न्यायिक)
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460544500
वाद संख्या:- 44500/2025
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम गुडिया यादव
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 07/03/2026

वाद सं0-365

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2025 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं0 00923 की गाटा सं0 2668 का कुल रकबा 0.1260हे0 में से विकीत रकबा 0.0420हे0 व 2402 का कुल रकबा 0.3180हे0 में से विकीत रकबा 0.1060हे0 व 2981 का कुल रकबा 0.1260हे0 मे से विकीत रकबा 0.0420हे0 कुल रकबा 0.5700हे0 मे से विकीत रकबा 0.1900हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती गुडिया यादव पत्नी श्री सर्वेश कुमार व रौनक यादव नाबा०, वीरू यादव नाबा० पुत्रगण सर्वेश कुमार व छाया यादव नाबा० पुत्री सर्वेश कुमार संरक्षिका माता गुडिया यादव स्वयं पत्नी सर्वेश कुमार निवासी - कुल्लरकट्टा आवास विकास कालोनी, लखनऊ, नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.11.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"